आंशिक स्वीकार/ रिमांड
17/10/22

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मोहम्मद कालू पुत्र घीसा व अन्य बनाम श्रीमती बानू पत्नी अहसान अली व अन्य।

किस्म मुकदमा–225राज.काश्तकारी अधिनियम,अपीलसंख्या 301/2022(पीसांगन)

	श्री एन0एस0राजावत एड0	
11.10.2022	मोहम्मद कालू वगैरह बनाम श्रीमती बानू वगैरह यह अपील श्री नरेन्द्र सिंह राजावत एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के द्वारा प्रकरण संख्या 133/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.11. 2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई।अपील मियाद बाहर पेश प्रस्तुत की गई है, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया तथा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2022 को पेश हो।	
17.10.2022	पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलां उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक 3.12.2021 से पूर्व ही दिनांक 01.12.2021 से पूर्व ही दिनांक 01.12.2021 को विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. के साथ अपील में वर्णित विधिक प्रावधान व न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर दिये गये। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 03 ए जा.दी.में वर्णित विधिक प्रावधानो एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो तथा मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा निगरानी टीए:3002/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2022 के विपरीत जाकर बिना किसी उचित, पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण उल्लेखित किये बिना ही एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 12.11.2021 को विधि एवं क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाये जाने के आशय से यथावत बनाये रखे हुए है। एक पक्षीय एवं विधि विरूद्ध आदेश के विरूद्ध विधिक प्रावधानो के तहत् अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई समय–सीमा निर्धारित नही की गई है परन्तु भविष्य में सिकी प्रकार की तकनीकी एवं विधिक बाधा उत्पन्न नही हो के सद्भोविक आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोविड़–19 के तहत् स्व–प्रेरणा से प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में भी समयावधि की छूट प्रदान कर दिये जाने तथा मान्नीय मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2022 की भी पालना नहीं किये जाने से अपील समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। मान्नीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में देरी का उचित, पर्याप्त, सद्भाविक एवं विधिक आधार होने ससे देरी को क्षमा जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने के आदेश प्रदान फरमावें। अभिभाषक प्रार्थीगण/ अपीलांटस के द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 03 ए जा.दी.में वर्णित विधिक प्रावधानो एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो तथा मान्नीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा निगरानी टीए:3002/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2022 के विपरीत जाकर बिना किसी उचित, पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण उल्लेखित किये बिना ही एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 12.11.2021 को विधि एवं क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को अनुचित रूप से लाभ पहुॅचाये जाने के आशय से यथावत बनाये रखे हुए है। मान्नीय मण्डल के आदेश दिनांक 16.06.2022 द्वारा भी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से एक माह में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दोनो पक्षो की सुनवाई के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्देशित/आदेश किया गया गया जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलांट द्वारा दिनांक 24.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने जाने के उपरान्त भी निरन्तर पेशियॉ परिवर्तित कर बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारण उल्लेखित किये आगामी पेशी दिनांक 18.11.2022 नियत कर स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानो एवं आदेश दिनांक 16.06.2022 का उल्लंघन कर विधिक त्रुटि कारित किये जाने से स्थगन आदेश दिनांक 12.11.2022 निरस्त फरमाये जाने योग्य है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी हक, अधिकार व आधिपत्य प्रभावित हो रहे है, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 12.11.2021 की पालना प्रभाव एवं क्रियान्विति को ताफैसला अपील स्थगित फरमाये जाने हेतु यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण प्रकरण में वर्णित कृषि भूमियों के रिकार्डेड खातेदार होकर उसके वास्तविक एवं भौतिक आधिपत्य व कब्जेकाश्त में चले आ रहे है से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान करते है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 12.11.2021 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति को स्थगित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1997 पेज 30, आर.आर.टी. 2009(1)पेज 162 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वर्तमान रेस्पोडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.11.2021 में विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलांट ने मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की। मान्नीय मण्डल ने उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए दिनांक 16.06.2022 को अधीनस्थ न्याालय को यह निर्देश दिये गये है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो की पालना में इस आदेश की प्राप्ति से एक माह के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर विधि अनुसार आवश्यक रूप से करें। उक्त आदेश को पारित किये हुए लगभग तीन माह हो चुके है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, जो विधि सम्मत नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 16.06.2022 के निर्देशानुसार पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसाद देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण नहीं करते है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 133/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 को स्वतः निरस्त समझा जावे।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 16.06.2022 के निर्देशानुसार पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसाद देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण नहीं करते है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 133/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 को स्वतः निरस्त समझा जावे। आदेश. की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर